न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 284/2015

दायर दिनांक :- 27.02.2015

उनवान

1. विद्या देवी पत्नि सीताराम
2. माया देवी पत्नि रामावतार

जाति जांगिड़ निवासी ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा।

– (वादीगण)

बनाम

1 बच्चूसिंह पुत्र रोशनलाल
2 श्रीमति शान्ति देवी पत्नि बच्चूसिंह
3 श्रीमति लछ्मा देती पत्नि राजूलाल
4 श्रीमति नारायणी पत्नि देवकरण

जाति गूजर निवासी ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा।

5 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

–(प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः– 1. श्री बी0एम0 गौड़, अधिवक्ता वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 25-2-2021

वकील मय वादीगण ने एक वाद दावा तकास्मा एवं उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 156 रकबा 1.94 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि में वादीगण का हिस्सा 5/6 एवं प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/2 यानि कुल भूमि में वादीगण का हिस्सा 5/12 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/12 है। प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीनी सं0 4 का हिस्सा 1/4 अंकित है पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

1. **भूमि विभाजन आराजी खसरा नं0 156 रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा में वादीगण का हिस्सा 5/6 एवं प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/2 यानि कुल भूमि में वादीगण का हिस्सा 5/12 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/12 है। प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीनी सं0 4 का हिस्सा 1/4 का बाइ मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करवाकर कागजात राजस्व एमं पटवार में वादीगण के हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रथकशः अंकित करवाई जावें।**

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किय गये। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 बावजूद तामिल उपस्थित नही हुये अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण द्वारा दिनांक 24.03.2017 को शपथ पत्र पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खैरवाल में दिनांक 29.05.2018 को पेश ... उस समय वादीगण ने न्यायालय कैम्प कोर्ट में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम मालगवास तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 1.94 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर तीन-तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

पत्रांकः कोर्ट/2018/7358 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/2019/232 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा तीन प्रतियों की बजाय दो प्रतियों में इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2020/230 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा मूल ही प्रेषित कर दिये गये। कार्यालय तहसीलदार दौसा के पत्रांकः भू0अ0/2019/4873 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय को दिनांक 09.11.2020 को निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	विद्या देवी पत्नि सीताराम, माया देवी पत्नि रामावतार कौम जांगिड़ ब्राहम्ण सा0 देह0	156/1	0.81	बारानी I	7.29
2.	नारायणी पत्नि देवकरण जाति गूजर सा0 खुरीकलां रहिन ओबीसी शाखा दौसा	156/2	0.48	बारानी I	4.32
3.	बच्चूसिंह पुत्र रोशन लाल हि0 160/650, शान्ति पत्नि बच्चूसिंह हि0 245/650 रहन ओबीसी शाखा दौसा, लछमा देवी पत्नि राजू लाल हि0 245/650 रहिन पीएनबी शाखा दौसा जाति गुजर सा0 खुरीकलां	156/3	0.65	बारानी I	5.85
	योग	1	1.94		17.46

तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के एक्स पार्टी होने के कारण पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गई। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा

:: आदेश ::

वादी वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 25-2-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:24:45 IST
Reason: SelfAttested